

जेल वभाग के कर्मचारियों को उच्चतर रक्ति पद पर मलैगी पदस्थापना

चर्चा में क्यों?

20 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के जेल एवं गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मशिरा ने कहा कि पुलिस वभाग की तरह ही जेल वभाग में भी पात्रता एवं वरषिठता के आधार पर उच्चतर रक्ति पद पर कार्यवाहक के रूप में पदस्थापना की जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है।

प्रमुख बढि

- कार्यवाहक अधिकारी उच्चतर पद का प्रभार मलने पर यूनिफॉर्म धारण कर अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे, कति उन्हें वेतन-भत्ते मूल पद के ही प्राप्त होंगे।
- जेल वभाग में प्रहरी को प्रभारी मुख्य प्रहरी, मुख्य प्रहरी को प्रभारी प्रमुख मुख्य प्रहरी, प्रमुख मुख्य प्रहरी को प्रभारी सहायक अधीक्षक जेल, सहायक अधीक्षक जेल को प्रभारी उप अधीक्षक जेल, उप अधीक्षक जेल को प्रभारी अधीक्षक जिला जेल के रूप में पदस्थ करने संबंधी आदेश जारी किये जाएंगे।
- इसमें राजपत्रति अधिकारियों के आदेश राज्य शासन स्तर पर और अराजपत्रति अधिकारी एवं कर्मचारियों के आदेश महानदिशक जेल के स्तर से जारी होंगे।
- अपर मुख्य सचवि गृह डॉ. राजेश राजौरा ने जानकारी दी है कि जेल-कारागार अधिनियम में संशोधन कया गया है। संशोधन अनुसार जेल-कारागार अधिनियम 1894 (1894 का 9) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश जेल नयिम, 1968 में संशोधन कर नयिम 70 के पश्चात् 70(क) उच्चतर पद श्रेणी पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नयिकृति संबंधी संशोधन स्थापति कया गया है।
- इसके अनुसार उच्चतर पद पर प्रभारी के रूप में कार्य करने वाला शासकीय सेवक वरषिठता पर या ऐसे उच्चतर पद श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं कर सकेगा। पदेन शक्तियों का प्रयोग और पदानुसार वर्दी धारण कर सकेगा।